



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 169/मुख्य नगर नियोजक

दिनांक 06/5/24

सेवा में,

मै0 पंचशील बिल्डटैक प्रा0 लि0,

एच-169, सैक्टर-63,

नोएडा-201301

विषय: खसरा संख्या- 804, 805 व 852 आदि ग्राम हरसांव, गाजियाबाद पर स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या- 390/जोन-4/2014-15 की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत समयवृद्धि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2024 के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग के पत्रांक 1805/न0नि0(2)/तकनीकी विधि/2023-24 दिनांक 09.01.2024 व कोविड-19 के शासनादेश संख्या-883/आठ-3-2020-211/विविध/13 टी.सी. दि0 01.07.2020 के परिप्रेक्ष्य में, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 15.04.2024 को स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या-390/जोन-4/2014-15 की वैधता अवधि की स्वीकृति दिनांक 21.09.2024 तक प्रदान की गयी है। समयवृद्धि हेतु पूर्व स्वीकृत मानचित्र की नियम व शर्तें पूर्वत रहेंगी।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

06/05/24

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
दिनांक: 6/5/24 0/c

पृ0 सं0: 169/मुख्य नगर नियोजक
प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. प्रवर्तन खण्ड जोन-4 को सूचनार्थ प्रेषित।

06/05/24

मुख्य नगर नियोजक

0/c